

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला वाडमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 14/19.. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री. महावीर सिंह प्रेमसिंह

पटवारी हल्का

जाति राजपूत निवासी रोडिया
तहसील गडरारोड जिला वाडमेर।

निर्णय

पत्रावली आज वमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोडिया ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम रोडिया के खसरा नम्बर 3813 कवा .. बीघा में से 750 बीघा किरम धोरा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

टी. आर. ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 22/04/19 सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड
न्यायालय तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 50/- फसल नि. —
कुल योग 50/- जि.के पृष्ठ सं. 24
वर्ष 1920 में इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार